RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January-2019
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

चण्डेश्वर के राज्योद्भव सिद्धान्त का वर्तमान में अनुप्रयोग

नीटू दत्त नौटियाल,
पी.एच.डी. शोधच्छात्र, संस्कृतएवंप्राच्यविद्याअध्ययनसंस्थान, जे.एन.यू. दिल्ली.

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 10 January 2019

ABSTRACT
आचार्य चण्डेश्वर का मध्यकालीन संस्कृत साहित्यकारों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन राजनीतिज्ञ में इनका सर्वोपरी स्थान माना गया है। आचार्य ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को उद्धृत किया है। इनके द्वारा लिखित राजनीतिक ग्रन्थ राजनीति-रत्नाकर का अपने आप में बहुत बड़ा महत्त्व है जिसके सिद्धान्तों का आधुनिक राजनीति में प्रयोग किया जा रहा है। आचार्य चण्डेश्वर द्वारा प्रतिपादित राजनैतिक सिद्धान्तों में अन्तर्निहित 'राजा एवं राज्य' से सम्बद्ध अवधारणाओं का आधुनिक भारतीय राजनीति में प्रभाव दिखाई पड़ता है। चण्डेश्वर के राजनीतिक विषय-वैविध्य के माध्यम से शक्तिवाद, दैवीय, समाज अनुबन्ध, और सावयव इत्यादि सिद्धान्तों का विकास हुआ है।

1. प्रस्तावना

आचार्य चण्डेश्वर ने राज्य उद्भव के सम्बन्ध में दैवीय तथा सप्तांग अवयवों आदि सिद्धातों को स्वीकृत किया है। इनके अनुसार राज्य सात अंगों से निर्मित होता है और ये सभी अंग एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि जैसे एक ही शरीर के अंग हों। इसलिये इन्हें राज्य के 'सप्तांग' कहा गया है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग कान, नाक, आँख, हाथ और पैर इत्यादि का पृथक् अस्तित्व असम्भव है, और इन अंगों में से किसी एक को भी पृथक् कर देने से शरीर विकलांगता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार राज्य के ये अंग राज्य से अलग नहीं हो सकते। यदि इनमें से किसी एक को भी अलग कर दे तो राज्य निर्थक अथवा असहाय हो जायेगा। आचार्य चण्डेश्वर ने राज्य के इन सात अंगों में से किसी का स्थान विशिष्ट व निम्न न मानकर अपने-अपने स्थान पर सभी को समान महत्त्व दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी एक का स्थान विशिष्ट अथवा अन्य का निम्न है। अत: ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता अगर ऐसा होगा तो राज्य अपंग या असहाय हो जायेगा।

शोधपत्र का उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य चण्डेश्वर के मतानुसार राज्य एवं राजा सम्बन्धी अवधारणाओं की समझ, एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना है। और लोगों को प्रयोगसिद्ध शोधों के द्वारा राज्य एवं राजा के सामाजिक और राजनीतिक विस्तार के बारे में ज्ञात कराना है। अनेकशोधों से यह सिद्ध होता है कि चण्डेश्वर की राज्य सम्बन्धी अवधारणाएँ ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तरों से गुजरती हुई आधुनिक भारत की राजनीति के कौन-कौन से पक्षों को छूती है इसका निदान करना। राज्य पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान को प्राप्त करना।

प्रमुख बिन्दु

यह शोधपत्र समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार राज्य एवं राजा सम्बन्धी सिद्धान्त इतने बडे अन्तराल के उपरान्त भी वर्तमान भारतीय राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। हर राजनीतिज्ञ की तरह चण्डेश्वर ने भी राजनीति के विकास क्रम में अपना योगदान दिया है। चिन्ता का विषय यह है कि बदलते समय के साथ चण्डेश्वर ने जो नीति अपनाने की बात कही थी उस पर शोधार्थीयों अथवा लोगों की दृष्टि अन्य राजनीतिज्ञों की अपेक्षा कम गयी है। हमें चण्डेश्वर के इस सिद्धान्त को जीवित रखने के लिए यथासम्भव प्रयास करना चाहिए।

परिचय

आचार्य चण्डेश्वर के मतानुसार यह विदित होता है कि प्राचीन भारत में एक सशक्त राजनीतिक संस्था थी जिसका उल्लेख वैदिक एवं इनसे पूर्ववर्ती राजनीतिक ग्रन्थों में मिलता है। इनका मानना है कि राज्य एक ऐतिहासिक परिघटना का चक्र है क्योंकि इसमें मानवों ने अपने नैसर्गिक परिवेष से बाहर निकलकर व्यवहारिक जीवन में पदार्पण किया होगा। यदि ओर अधिक गहन अध्ययन करे तो लगता है कि एक अवस्था अथवा कालखण्ड ऐसा भी रहा होगा जिसमें राज्य नाम की कोई समर्थ सभा न रही हो। इसे राज्यविहिन कार्यप्रणाली के नाम से भी जाना जा सकता है। प्रायश: सभी मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि एक स्थिति ऐसी रही हो जिसमें राज्य नाम की कोई शक्तिशाली परिषद् नहीं थी तो फिर लोग किन परिस्थितियों में रहते होंगे?, इसके अन्तरिक्त अन्य प्रश्न यह उठता है कि राज्य को चलाने के लिए राजा की कल्पना अथवा सृष्टि किसने और क्यों की होगी ? क्या राजा के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें चण्डेश्वर के राज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों में प्राप्त हो जाते हैं।

1. राज्य उद्भव से सम्बद्ध जिन सिद्धान्तों का वर्णन पूर्व में प्राप्त होता है उनमें से कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है क्योंकि राज्योद्भव के संबन्ध में इन प्रमुख सिद्धान्तों को जानना बहुत जरूरी है। संक्षेप में इनके स्वरूप के विषय में कुछ जानकारी इस प्रकार है –

1.2. शक्तिवाद (Force theory)

इस सिद्धान्त के आधार पर यह माना जाता है कि शक्तिशाली सरदार अपने से कमजोर परिवारों को भयभीत करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाते थे। प्राचीन भारत में व्यक्ति जिस परिवार में रहता था उसमें भय

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अथवा अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर वे खुद को असुरक्षित समझने लगे। अपनी रक्षा हेतु दुश्मनों को हराने के लिए वे किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते थे।[1] जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सकें।

1.3. दैवी सिद्दान्त (Divine theory)

इस सिद्धान्त के आधार पर महाभारत में यह कहा जाता है कि उस समय न तो कोई राजा था और ना ही कोई राज्य। सभी जन धर्म का आचरण करते हुए एक दूसरे की रक्षा करते थे।[2] लेकिन यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चली। धर्म का लोप होने लगा और आपस में क्लेश की स्थिति बनने लगी। धार्मिक यज्ञ कर्मादि का भी लोप होने लगा। इन परिस्थितियों में देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली और ब्रह्मा ने दण्ड शास्त्र की स्थापना की। इसके अनन्तर उन्होंने अपने मानस पुत्र विरजस को राजा बनाया और उसे दण्ड शास्त्र के आधार पर शासन करने का आदेश दिया।[3]

1.4. समाज अनुबन्धवाद (Social Contract theory)

इसके अनुसार मात्स्य न्याय से परेशान मनुष्यों ने मिलकर आचरण संबन्धी नियमों का निर्धारण किया। किन्तु किसी सत्ता के अभाव में वे विधि नहीं बना सके। इस कारण से वे ब्रह्मा जी के पास गये और फिर ब्रह्मा के कहने पर मनु को राजा बनाया। मनु ने लोगों से अनुबन्ध किया कि वे अनुशासन में रहेंगे और राज्य को विधि के अनुसार संचालित करेंगे।[4]

1.5. सावयव सिद्धान्त (Organic theory)

यह सिद्धान्त न केवल राज्य के सावयव सिद्धान्त का वर्णन करता है अपितु यह संकेत भी देता है कि राज्य के किन-किन सिद्धान्तों का क्या-क्या कार्य है ? राजनीति-रत्नाकर में सावयव सिद्धान्त एवं दैवीय सिद्धान्त का संकेत मिलता है। इसमें राज्य को 'सप्तांग' के रूप में सम्बोधित किया गया है।

राजा राज्य से संबन्धित सर्वोच्च एवं महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आचर्य चण्डेश्वर के अनुसार राज्य की शक्ति राजा में निहित होती है। राज्य की कुशलता, समृद्धि एवं असमृद्धि राजा पर निर्भर करती है। उसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए साथ ही राजा को महत्त्वाकांक्षी, दूरदर्शी, परिश्रमी भी होना चाहिए ताकि राज्य का कार्य व्यवस्थित रूप से चल सके।[5] अमात्य या मन्त्री राज्य के शासन में एक महत्त्वपूर्ण अंग है। प्रशासनिक कार्यों में ये राजा को सहायता हेतु नियुक्त किये जाते हैं। ये समय-समय पर राजा को राज्य की सुरक्षा एवं संचालन में परामर्श देने का कार्य करते हैं। इनके अभाव में राजकीय कार्यों का निर्वहन होना बहुत कठिन है।[6] सुहृत् अर्थात् मित्र का होना राज्य की सुरक्षा हेतु अति-आवश्यक माना गया है। क्योंकि मित्र संकट की घड़ियों में मित्र के काम आता है।[7] कोष के माध्यम से धर्म और काम के प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तथा धन से ही सब कार्य सरल और सुगम हो पाते हैं।[8] राजनीति-रत्नाकर में राज्य और इसमें निवास करने वाले लोगों की सहायता और सुरक्षा के लिए सुसंगठित सेना का होना आवश्यक बताया गया है। क्योंकि राज्य में शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्य सेना पर ही आश्रित रहता है।[9] दुर्ग या किला अपनी रक्षात्मक कार्यवाही एवं शत्रु पर आक्रमण करने के लिए सेना अथवा राजा का सहयोगी सिद्ध होता है।[10]

2.1.राजा

आचार्य चण्डेश्वर ने राजा की उत्पत्ति में ही राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। राजा की उत्पत्ति में इन्होंने आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित दैवीय उत्पत्ति के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। चण्डेश्वर ने राजा को महान एवं पूजनीय माना है क्योंकि इसके अभाव में लोक में अराजकता फैलती है, इसलिए लोक की सम्यक् स्थिति के लिए राजा की उत्पत्ति हुई।[11] अथर्ववेद में कहा है कि राजा को प्रजा का पालन तथा राज्य में सुखसमृद्धि करने वाला होना चाहिए। उसके द्वारा की गई राज्यव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रजाजन स्व-स्व कार्यों में लगे रहे।[12]

2.2. राजा के भेद

आचार्य ने तीन प्रकार के राजाओं का उल्लेख किया है। सम्राट, सकर एवं अकर।[13] इनमें प्रथम प्रकार के राजा के बारे में चण्डेश्वर कहा है कि जो राजा अपने से इतर सभी राजाओं से कर ग्रहण करता है, वह सम्राट् है।[14] जो राजा सम्राट को कर देता हो, वह सकर,[15] और जो अपनी इच्छा से सम्राट को कर देते हैं वे अकर होते हैं।[16]

2.3. राजा की योग्यता

आचार्य चण्डेश्वर ने राजा की योग्यताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राजा को शौर्यसम्पन्न, विनीत, वृद्ध-सेवी, सत्वसम्पन्न, कुलीन, सत्यवादी, उदार, धार्मिक, अव्यसनी, प्राज्ञ, शूर, और रहस्य का ज्ञाता होना चाहिए।[17] आचार्य चण्डेश्वर का मानना है कि प्रजा-रक्षण का सामर्थ्य रखने

---

1 प्राचीन भारत की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्थायें पृ.330

2 नैव राज्यं न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः।
धर्मेण प्रजाः सर्वा रक्षन्ति च परस्परम्। महा.शान्ति-पर्व 59.14

3 नेष्ट ब्रह्मणि धर्मे च देवास्त्रासमथागमन्।
ते त्रस्ता नरशार्दूल ब्रह्माणं ययुः ॥महाभारतशान्ति-पर्व.२२.५९

4 अराजकाः प्रजाः पूर्वं विनेशुरिति नः श्रुतम्। परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान्॥ महाभारतशान्ति-पर्व, 67/17

5 राज्ञोनिरूपण तरंग,रा.रत्नाकर

6 राजनीतिरत्नाकर-,अमात्य निरूपण तरंग

7 राजनीतिरत्नाकर-,सुहृत निरूपण तरंग

8 राजनीतिरत्नाकर-,कोषनिरूपण तरंग

9 राजनीतिरत्नाकर-,बलनिरूपण तरंग

10 राजनीतिरत्नाकर- ,दुर्गनिरूपण तरंग

11 राजनीति-रत्नाकर राज्ञो निरूपण तरंग

12 अथर्ववेद,३।४।१-३

13 राजा त्रिविधः, सम्राट् सकरोऽकरश्च। राजनीति-रत्नाकर राज्ञोनिरूपण तरंग।

14 सकल राजेभ्यो यः करग्राही स सम्राट्,रा.र.राज्ञोनिरूपण तरंग।

15 सम्राजे करदो यः स सकरः, रा.र.राज्ञोनिरूपण तरंग।

16 स्वेच्छाकरदोऽकरः, रा.र.राज्ञोनिरूपण तरंग

17 मोहत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धौंपसेविः।
विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक् शुचिः॥
अदीर्घ सूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरूषस्तथा।
धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्॥ रा.र. राज्ञो निरूपण तरंग

RRIJM 2015, All Rights Reserved

वाला व्यक्ति राजपद का अधिकारी होता है ।[18] राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य राजा को नियुक्त किया जाय ताकि राज्य का कार्य व्यवस्थित रूप से चल सके। आचार्य चण्डेश्वर ने राजनीति-रत्नाकर में राजा का अभिप्राय प्रजा की रक्षा करना माना है। आचार्य ने लिखा है कि जो व्यक्ति प्रजा पालन में स्थिर रूप से लगा रहे वह राजा है। अत: वह मानते हैं कि जो व्यक्ति प्रजा की रक्षा के लिए राजकीय-गुणों को धारण करते हैं तथा अपने पराक्रम आदि से राज्य को प्राप्त कर सकते हैं वह व्यक्ति राजा कहलाने योग्य है ।[19] आचार्य चण्डेश्वर ने राजा के लिए किसी वर्ण को आवश्यक नहीं माना। उन्होंने उसकी योग्यता को स्वीकारा है। उनके इस कथन से यह संकेत मिलता है कि राजा को प्रजा का विश्वास प्राप्त करना चाहिए चूंकि प्रजा राज्य की कड़ी मानी जाती है। यह आवश्यक है कि वह राजकीय गुणों को धारण करने वाला हो।

2.5. राजा का निर्वाचन

आचार्य ने अपने गन्थ राजनीति-रत्नाकर में राजा के निर्वाचन के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। वैदिक साहित्य में राजा के निर्वाचन किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। राजा का निर्वाचन कुलपों द्वारा किया जाता था। इसमें युद्ध की परिस्थितियों का संकेत प्राप्त होता है। इस युद्ध में अपनी रक्षा तथा शत्रुओं को हराने के लिए राजा का निर्वाचन किया जाता रहा है। कुलों ग्रामों जनों विशों के नेता बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए किसी एक योग्य व्यक्ति को अपना नेता निर्वाचित करते थे ।[20] ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शासन की सर्वोत्तम विधि प्रजातंत्र है। राजा का चुनाव ही नहीं अपितु उसका पूरा मन्त्रिमण्डल तब तक ही सत्ता का सुख प्राप्त कर सकता है,जब तक प्रजा का विश्वास उस पर बना हुआ है। जैसे ही वह प्रजा का विश्वास खो बैठे, उसे तुरन्त ही सत्ता से अलग हो जाना चाहिए अन्यथा प्रजा में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वह उसे सत्ता से पदच्युत कर सके ।[21]

2.5. राजा के गुण

चण्डेश्वर के अनुसार राजा के गुण कैसे होने चाहिए ? इसका निरूपण किया है- राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा करने वाला हो, महान, उत्साही, स्थूल लक्ष्य वाला, उपकार को मानने वाला, वृद्धों की सेवा करने वाला, विनम्र, पराक्रम से सम्पन्न, सत्य बोलने वाला, पवित्र, कार्य करने में क्रियाशील, स्मरण शक्ति वाला, सरल, धार्मिक, विद्वान्, व्यसनों से रहित, वीर तथा दूसरों के रहस्य को जानने वाला होना चाहिए ।[22] इन गुणों से युक्त राजा का राज्य स्थिर रहता है ।[23] राजा को गुणों के साथ-साथ इससे यह आशा की जाती है कि वह निम्न दुर्गुणों से दूर रहे-

- अन्याय पूर्वक प्रजा से धन लेना।
- असत्य बोलना।
- धन का अपव्यय।
- अयोग्य मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा न करना और उनके सुझाओं को न मानना।
- दूसरों की निन्दा करना।
- क्रोध करना।
- अयोग्य व्यक्ति से सलाह लेना।
- मन्त्रणा की गोपनीयता को न बनाये रखना।

3.6. राजा के कर्त्तव्य

राजा का कर्त्तव्य है कि वह मन, वचन और कर्म से प्रजा की रक्षा करे। दीनों पर अत्याचार न करे, राजा अपने पुत्र को अपराध करने पर दण्डित करे, अनाथों और वृद्धौं की पीड़ाओं का निवारण करे, राज्य कोष व्यापार की वृद्धि करे, प्रजा के दु:खों का निवारण करे, सत्यवादी, क्षमाशील और पराक्रम से युक्त बने, कठिन मार्ग से विचलित न हो, शास्त्रों के उपदेशों पर विश्वास रखे, विद्वान् ब्राह्मणों का आदर करे। बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रजा का हित साधना और धर्मानुसार शासन करना राजा का मुख्य कर्त्तव्य है ।[24] राजनीति रत्नाकर के द्वादश तरंग में राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कर्तव्यों का वर्णन करते हुए ग्रन्थकार ने मनुस्मृति के सन्दर्भ को उद्धृत किया है-

- युद्ध के समय भाग न जाना।
- प्रजा पालन करना।
- ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना।
- वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना और उसका संचालन करना।
- प्रजा का रक्षण।
- प्रजा को न्याय प्रदान करना।
- आर्थिक समृद्धि एवं प्रजा के कल्याण को प्रोत्साहन करना।
- सार्वजनिक हित की देखभाल।
- विनाशकारी व्यवसायों की रोकथाम।

ये राजाओं के परमश्रेयस्कर कर्त्तव्य है। वह कहते हैं कि प्रजा का पालन करना ही राजा का परम कर्त्तव्य है। चूंकि निर्दिष्ट फल को प्राप्त करने के कारण राजा का उस धर्म से सम्बन्ध होता है ।[25] न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा को प्रजा के पुण्य का छठा भाग प्राप्त होता है। यदि राजा ने प्रजा का भलीभाँति पालन किया हो तो वह समस्त दानों से अधिक फल प्रदान करता है।[26]

---

[18] केवलं शौर्याद्यासराज्यस्यराजत्व व्यवहारादिति । राज्ञोनिरूपणं तरंग राजनीति-रत्नाकर

[19] राजनीति-रत्नाकर.राज्ञोनिरूपण तरंग पृ.४

[20] प्राचीन भारत् की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ पृ,४

[21] विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्। ऋग्वेद,१०.१७३.१

[22] राजनीति-रत्नाकर राज्ञो निरूपण तरंग, प्रथम तरंग

[23] अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रिय:।
कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्॥ वाल्मीकी रामायण, अरण्य, 33/20/

[24] प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं सस्थाएँ पृ. ७०

[25] सग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम्।
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम॥ राजनीति-रत्नाकर द्वादश तरंग पृ.105

[26] पुण्यात्षड्भावमादते न्यायेन परिपालनम्, राज.र. द्वादश तरंग ।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

3.1. राजा की कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियाँ-[27]

- राजा विभिन्न पदाधिकारियों, अमात्यों, पुरोहितों, सैन्य अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
- राज्य के समस्त विषयों और समस्याओं आदि पर विभिन्न अधिकारियों से विचार-विमर्श करता है।
- समस्त राज्य में बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करता है।
- राज्य में दण्ड व्यवस्था की स्थापना कर उसका संचालन करता है।
- राज्य की वित्त व्यवस्था एवं उसका निरीक्षण करता है।
- सेना के परीक्षण की व्यवस्था कर उस पर नियन्त्रण करता है।
- विदेश नीति का निर्धारण करता है।
- राज्य प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटा जाए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

3.2. विधायी शक्तियाँ

आचार्य के अनुसार राजा धर्मशास्त्र के आधार पर प्रचलित कानूनों के अनुसार फैसले करता है और उन्हें प्रभाव में लाता है। इन्होंने कानून के स्रोत वेद, स्मृति एवं नीति ग्रन्थों को माना है। इससे यह विदित होता है कि जो कानून परम्परागत सामाजिक मान्यताओं और नैतिक धारणाओं पर आधारित होते हैं उन्हें ही अमल में लाने का अनुमान होता है।[28]

3. 3. न्यायिक शक्तियाँ

चण्डेश्वर के राजनीति-रत्नाकर में राजा न्याय का मुख्य स्रोत है। उसका निर्णय राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसे यह अधिकार है कि वह न्यायिक निर्णय ले। न्यायालय की स्थापना एवं न्यायाधीशों (प्राड् विवाक एवं सभ्यों) की नियुक्ति उसके द्वारा ही की जाती है।[29]

4. राजा पर नियन्त्रण

राज्य का स्वामी राजा माना गया है। वह शक्ति का केन्द्र होता है। अगर वह अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने लगे तो प्रजा का पालन पोषण करने की वजह प्रजा को पीड़ा पहुँचाने लगे, तो क्या इस स्थिति में राजनैतिक शास्त्रों अथवा धर्मसूत्रों में उसकी शक्ति को नियन्त्रित करने के कोई उपायों का निर्धारण किया गया है ? प्राय: राजनैतिक ग्रन्थों में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उसके ऊपर कोई अन्य संस्था नहीं थी जो उसे नियन्त्रण कर सके। परन्तु चण्डेश्वर का मानना है कि उसे धर्म के माध्यम से नियन्त्रण में रखा जाता है। वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियन्त्रण होता था। सभा और समिति के सहमति के विना राजा या उसकी मन्त्रिपरिषद् का कोई भी कार्य तब तक निश्चित नहीं समझा जाता था जब तक सभा और समिति स्वीकृति नहीं देती थी।[30] इस कथन से आभास होता है कि वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियन्त्रण रहा होगा।

5. राज्याभिषेक

राज्य अभिषेक के संबन्ध में जानकारी वैदिक काल से मिलती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में अनेक जगह राजा के निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचन के उपरान्त यज्ञिय समारोह में राजा का विधिवत राज्याभिषेक होता था।[31] राज्याभिषेक के संबन्ध में आचार्य चण्डेश्वर का मत है कि राज्याभिषेक के अभाव में भी विधि के अनुसार राज्यदान अथवा राज्याभिषेक हो सकता है इसके लिए राज्याभिषेक होना आवश्यक नहीं है। चन्डेश्वर कोषकार का मत व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि राज्याभिषेक तिलकादि के बिना भी हो सकता है।[32]

अगर हम वर्तमान राज्य की ऐतिहासिकता पर जायें तो वर्तमान राज्य का उद्भव सोलहवीं शताब्दी में हुआ। आचार्य अल्तेकर ने कहा है कि वर्तमान में भूप्रदेश जनता और केन्द्रीय सरकार राज्य के आवश्यक अंग हैं। केन्द्रीय सरकार में प्रभुता और वैधानिक व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए।[33]

अगर हम राज्य के संप्तांग सिद्धान्त का अनुप्रयोग करें तो ज्ञात होता है कि स्वामी और अमात्य केन्द्रीय शासन के स्थान पर हैं। दुर्ग, सेना और कोष ये राज्य के शासन के अंग थे। वर्तमान में इनका प्रयोग देश की प्रशासनिक कार्य के लिये किया जाता है। आज दुर्ग और सेना का प्रयोग देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिये किया जा रहा है ताकि देश और इसमें निवास करने वाले सभी नागरिक सुरक्षित रह सके। देश की रक्षा और इसके कार्यवाही के लिए सम्पत्ति की आवश्यकता है इसलिए कोष (tax) देश के संचालन के लिए आवश्यक है। वर्तमान में देश अथवा राष्ट्र मित्रदेशों की सहायता पर निर्भर करता है इसके अभाव में किसी भी देश का संचालन असम्भव है। इसका कारण है कि मित्रदेश के अभाव में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। प्राचीन समय में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे उनका संचालन तथा सुरक्षा तभी सम्भव थी जब राज्यों में आपस में मित्रता रही होगी। आज भी मित्र राष्ट्रों में परस्पर ऐसा संबन्ध है अगर कोई देश किसी देश पर आक्रमण करता है तो उस देश के मित्रदेश उसकी सहायता करते हैं इसलिये कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप में आक्रमण नहीं कर सकता है। वर्तमान में अपनी अपेक्षा किसी दुर्बल देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने मित्र अथवा परस्पर संबन्ध को इतना अधिक महत्त्व दिया होगा।

वर्तमान समय में जिस प्रकार प्रशासन चलाया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका ही सर्वोच्च होती है। राजनीतिक-रत्नाकर में राजा के जिन कार्यों का वर्णन किया गया है उनका प्रयोग आज भी किया जाता है। चाहे वह राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, उसकी शक्तियाँ, अधिकार और राष्ट्रपति पर नियन्त्रण की व्यवस्था हो इन सभी पर राजनीति-रत्नाकर के सिद्धान्त का प्रयोग दृष्टिगत होता है। आज भी राष्ट्रपति बनने के लिये कुछ अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो जिस देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है उसे उस देश का नागरिक होना आवश्यक है, उसकी निश्चित आयु हो, यह सुनिश्चित नहीं है कि सभी देशों में राष्ट्रपति बनने के लिये एक समान योग्यता हो। भिन्न-भिन्न देशों में अलग अलग नियम होते हैं।

---

[27] राजनीति-रत्नाकर पृ. 18-28

[28] राजनीति-रत्नाकर पृ. 2

[29] राजनीति-रत्नाकर पृ. 32-36

[30] सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने। अथर्ववेद, 7/12/1-4

[31] संस्कृत साहित्य में राष्ट्रवाद् और भारतीय राजशास्त्र, पृ.34

[32] राजनीति-रत्नाकर द्वादश तरंग

[33] प्राचीन भारतीय शासन पद्धति प्रो. अलतेकर पृ.32

हमारे प्राचीन आचार्यो ने राजा बनने के लिये अलग-अलग मत दिये है। वैसे ही आज भी विभिन्न देशों में अलग-अलग नियम है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिये निम्न योग्यता होनी आवश्यक है- वह भारत का नागरिक हो, वह किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में, सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर न हो। राजनीति-रत्नाकर में अन्तर केवल राजा बनने के लिये आयु निश्चित नहीं की गयी है। उसमें लिखा है कि राजा न बालक होना चाहिए और न वृद्ध।[34] भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि एक निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। जो केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल स्थानान्तरणीय मत प्रणाली के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार होता है।[35]

6. उपसंहार

चण्डेश्वर राजा के लिए किसी क्षत्रिय विशेष व्यक्ति को ही न मानकर किसी भी वर्ग जाति, लिंग और राज्य संचालन में योग्य व्यक्ति को राजा बनने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। चण्डेश्वर ने अपने ग्रन्थ राजनीति-रत्नाकर में राज्याभिषेक का वर्णन तो किया गया है किन्तु इसे अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। आचार्य चण्डेश्वर के मतानुसार राजा के लिए राज्याभिषेक अपेक्षित नहीं माना गया है। राज्य का शासन सात अंगों द्वारा ही सम्यक् रूप से चल सकता है। इन सात अंगों में पूर्व विवेचित स्वामी, अमात्य, कोश, मित्र, राष्ट्र, दुर्ग और सेना है। राज्य एवं राजा के उत्पत्ति के संबन्ध में इसमें मनु, शुक्रादि आचार्यों के मतों को प्रस्तुत किया गया है। राजनीति-रत्नाकर में राज्य की उत्पत्ति में ही राजा की उत्पत्ति मानी गई है। चण्डेश्वर राजा को देवता का अंश मानते हैं।

चण्डेश्वर के द्वारा राजा के विषय में जो सिद्धान्त दिया गया है उसका प्रयोग आज भी दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार से इन्होंने राजा बनने के लिए किसी जाति विशेष को अनिवार्य नहीं माना गया है, उसकी योग्यता के आधार पर वह राजा बन सकता है आज भी यही स्थिति भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में दिखाई पड़ती है चाहे वह फिर निर्वाचन के द्वारा हो या इसी अन्य विधि व्यवस्था द्वारा स्थापित सिद्धान्त के आधार पर क्यों न हो उसमें योग्यता का होना निर्भर करता है। चण्डेश्वर के अनुसार किसी व्यक्ति को राजा बनने के लिए प्रजा को विश्वास में लाना आवश्यक है और उसे प्रजा के सुख में ही अपना सुख देखना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति एवं भारत और कुछ अन्य देशों में प्रधानमन्त्री बनने के लिए उसे जनता के विश्वास को जीतना पड़ता है ऐसा कार्य करने पर जनता उसे और उसके सहयोगियों के प्रति विश्वास मत देती है और इसके पश्चात् वह सत्ता में काबिज होता है। वर्तमान में राजा राष्ट्रपति की भूमिका में होता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका, विधायी शक्ति एव न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। चण्डेश्वर के राजा एवं राज्य सम्बन्धी अवधारणाओं में इन तीनों शक्तियों का संकेत प्राप्त होता है।

7. संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अथर्ववेद, प्रो. विश्वनाथ विद्यालंकार. चौधरी प्रपात सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट, माडल टाऊन, करना,1977
2. ऋग्वेद, सं;,विश्वनाथ शास्त्री, वैदिक शोध संस्थान, वाराणसी: 1965
3. कामन्दकीयनीतिसार:सम्पादक टी.गणपति शास्त्री,त्रिवेद्रम,1992
4. कौटिल्य अर्थशास्त्र: वाचस्पति गौरोला,चौखम्भा संस्कृत संस्थान,वाराणसी,1991
5. मनुस्मृति-कुल्लूक की मन्वर्थमुक्तावली टीका सहित,सम्पादक,गोपाल शास्त्री हिन्दी व्याख्याकार,हरगोविन्द शास्त्री,चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी,1982
6. शुक्रनीति-ब्रह्मशंकरमिश्र,चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी,1982
7. राजनीति-रत्नाकर, सं-वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1970
8. याज्ञवल्क्यस्मृति: निर्णय सागर प्रेस,बम्बई,1949
9. भारतीय संविधान सिद्धान्त और व्यवहार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, 2007
10. प्राचीन भारत की प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्थायें, डा.कु मार कृष्ण, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली,1998
11. प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्रो.अनन्त सदाशिव- विश्वविद्यालय प्रकाशन,वाराणसी, 2002
12. भारतीय राजनीतिक विचारक,डा.आनन्द प्रकाश अवस्थी- लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2003-04
13. महाभारत,कृष्ण द्वैपायन व्यास, गीत प्रेस गोरखपुर. 2013
14. हिन्दू पॉलिटी, डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल, नागरी प्रचाररणी सभा, काशी, 1942
15. वाल्मीकी रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर,वि,सं., 2020.
16. कोशग्रन्थ
17. वाचस्पत्यम्. श्री तारानाथ, तर्कवाचस्पति, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, नई दिल्ली, संस्कृत-हिन्दी कोश,वामन शिवराम आप्टे, रचना प्रकाशन,जयपुर,२००६

---

[34] राजनीति-रत्नाकर राज्ञो नि.तरंग

[35] भारतीय संविधान सिद्धान्त और व्यवहार, ब्रजकिशोर, शर्मा पृ. 45